न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

निर्णय दिनांकः—4.03.2020

मिसल नं. 7/2015

पीठासीन अधिकारी— रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

दुलीचंद पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी सायगढ़ जिला बांरा जरिय कायम मुकामान

1— लीलाधर पुत्र दुलीचंद जाति धाकड निवासी सायगढ़

2— रामचन्द्र पुत्र दुलीचंद जाति धाकड निवासी सायगढ़(मृतक)

2/1 जानकीबाई पत्नि मृतक रामचन्द्र

2/2 संजय पुत्र मृतक रामचन्द्र

2/3 प्रेमनारायण पुत्र मृतक रामचन्द्र

2/4 राजेन्द्र पुत्र मृतक रामचन्द्र

अकवाम धाकड़ निवासीगण सायगढ़ तहसील बांरा जिला बांरा

(वादीगण)

बनाम

1— हेमराज पुत्र झीतू

2— मूलचंद पुत्र झीतू

3— गोपाली पुत्री झीतू

टकवाम धाकड़ निवासीगण हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

4— औकारी पुत्री झीतू पत्नि सूरजमल जाति धाकड निव9ासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा

5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

निर्णय

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद उनवानी शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के संयुक्त खाते की कृषि भूमि 8 किता रकबा 12.88 हैक्टर ग्राम हरिपुरा में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 ता 4 व इनकी माता मथरी बाई का जिनकी मृत्यु हो चुकी है का 1/2

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

हिस्सा बराबर दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 मथरीबाइ के वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त भूमि में अपने– अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है, वादी को शामलाती खाते से अपना हिस्सा अलग करने को प्रतिवादीगण तैयार नहीं है, इसलिए वाद लाने के लिए बाध्य होना पड़ा । वादीगण ने प्रार्थना की है कि उपरोक्त आराजी में वादीगण का 1/2 व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अलग– अलग किया जाकर खातेदारी में दर्ज किया जावे।

न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 14.03.2005 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव मांगा गया। उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव के आधार पर न्यायालय द्वारा 31.05.2005 को अंन्तिम डिक्री जारी की गयी।

प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा राज0 के यहां अपीले प्रस्तुत की गयी। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलान्ट की अपीलों को मियाद बाहर होने के बिन्दु पर अस्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 3.12.2010 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राज0 में अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2012 द्वारा अपीलान्ट (प्रतिवादी) की अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी कोटा एवं विचारण न्यायालय इटावा के निर्णयों को अपास्त करते हुये इस न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह दोनों पक्षों को सुनवायी का अवसर देकर प्राथमिक डिक्री एवं अंन्तिम डिक्री विधिवत रूप से पारित करें।

पत्रावली रिमाण्ड होकर न्यायालय को प्राप्त हुई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान की तलबी की गयी। वादीगण के अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की तनकीवार विस्तृत बहस प्रत्येक पहलू पर सुनी गयी।

प्रकरण में तनकीयात कायम की गयीः–

तनकी नं0 – क्या वादी वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित भूमि का 1/2 का खातेदार होने से भूमि का विभजन करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

तनकी नं0 2– क्या वाद में वादी द्वारा आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये गये है, यदि हां तो वाद पर क्या असर है। (जिम्मे प्रतिवादी)

तनकी नं0 3– क्या भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है इसलिए वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

तकी नं0 4–अनुतोष

पक्षकारान को साक्ष्य सुनवायी का पूर्ण अवसर दिये जाने पर साक्ष्य अभय पक्षकरान की ली गयी । दोनों पक्षों से राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार मूल वाद पर तनकीवार विस्तृत बहस सुनी गयी , प्रत्येक पहलू से बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं रूलिंग एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वाद पत्र व जवाब दावा के विवेचनापरान्त कायम तनकीयात के आधार पर हमारे द्वारा निम्नुसार निर्णय किया जाना उचित समझा।

तनकी नं0 1–क्या वादी वाद पत्र की चरण नं0 1 में वर्णित भूमि का 1/2 का खातेदार होने से भूमि का विभाजन कराने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवंत 2057–60 खाता नं. 40 वाके ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा कोटा राज0 जो प्रदर्स प्रस्तुत की है, जिसके मुताबिक वादी दुलीचन्द पुत्र देवा विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक दर्ज है। तथा दुलीचन्द की मृत्यु के बाद वादीगण स्व0 दुलीचन्द के कायममुकाम है। इस प्रकार वादीगण विवादि आराजी में 1/2 हिस्से के सह खातेदार कृषक होने से संयुक्त खाते की भूमि पर अपना हिस्सा विभाजित करवाने का विधिक अधिकार रखते है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण अपने जवाब दावे के कथनों के प्रमाण व समर्थन में वादीगण के उपरोक्त हक अधिकार के विरूद्व कोई प्रतिकूल अधिकार साबित करने में असमर्थ रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण तनकी नं0 1 को साबित करने में सफल रहे है अतः तनकी नं0 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी के समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कथित पक्षकार वाद में किस प्रकार पक्षकार है या बनने योग्य है साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जिसको प्रतिवादी किसी भी प्रकार सिद्व करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं. 2 विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3– क्या भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है इसलिए वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था किन्तु प्रतिवादी सिद्व करने हेतु किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः तनकी नं. 3 विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 4– अनुतोष –

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा प्रमाणित है और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है तथा सहमत है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मुताबिक संवत 2057–60 वाके ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा कोटा राज0 खाता नं0 40 के अनुसार वाद में नये सिरे से वर्णित आराजी की Meets & Bounds के आधार पर अच्छी में से अच्छी , बुरी मे से बुरी के आधार पर वादीगण के 1/2 हिस्से का पृथक से बंटवारा किया जावे। तद्परान्त तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0 को विभाजन का प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी करने एवं तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया गया कि दोनों पक्षकारों को विधिवत सूचित करते हुये पक्षकारान की उपस्थिति में खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2019 को जारी की गयी।

प्रकरण में न्यायालय के प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2019 की पालना में तहसीलदार पीपल्दा के पत्रांक राजस्व/2019/695 दिनांक 17.12.2019 से उभय पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने पर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार प्राप्त हुआः–

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	ग्राम का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर	किस्म जमीन	दिशा
1	लीलाधर पुत्र दुलीचन्द हि01/2 संजय,प्रेमनारायण,रारजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र , रामचन्द्र हि01/2 हि0ब0 जाति धाकड सा0देह खातेदार रहन यथावत योग किता	हरिपुरा	366 181 153 409 647 ..... कुल किता 5	0.22 0.34 3.12 0.70 1.93 ..... 6.31	न.प्र. न.प्र. न.दो. बा.दो. न.प्र.	उत्तर सम्पूर्ण सम्पूर्ण उत्तर दक्षिण
2	हेमराज ,मूलचन्द पुत्र झीतू , गोपाली, औकारी पुत्रियां झीतू जाति धाकड सा0 देह हि0ब0 खातेदार रहन यथावत	हरिपुरा	154 366 409 647/1 647 कुल किता 5	3.44 0.23 0.71 1.46 0.48 6.32	न.दो. न.प्र. बा.दो. न.प्र. न.प्र.	सम्पूर्ण दक्षिण दक्षिण सम्पूर्ण उत्तर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

प्रकरण में तहसीलदार पीपल्दा से न्यायालय के प्राथमिक निर्णय–डिक्री पर प्रकरण प्रेषित करने के उपरान्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने सहमति व्यक्त की गयी। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:–

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित प्रकरण में मुताबिक प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार , विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी में निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	ग्राम का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर	किस्म जमीन	दिशा
वादी–गण	लीलाधर पुत्र दुलीचन्द हि01/2 संजय,प्रेमनारायण,रारजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र , रामचन्द्र हि01/2 हि0ब0 जाति धाकड सा0देह खातेदार रहन यथावत योग किता	हरिपुरा	366 181 153 409 647 ..... कुल किता 5	0.22 0.34 3.12 0.70 1.93 ..... 6.31	न.प्र. न.प्र. न.दो. बा.दो. न.प्र.	उत्तर सम्पूर्ण सम्पूर्ण उत्तर दक्षिण
प्रतिवादी गण	हेमराज ,मूलचन्द पुत्र झीतू , गोपाली, औकारी पुत्रियां झीतू जाति धाकड सा0 देह हि0ब0 खातेदार रहन यथावत	हरिपुरा	154 366 409 647/1 647 कुल किता 5	3.44 0.23 0.71 1.46 0.48 6.32	न.दो. न.प्र. बा.दो. न.प्र. न.प्र.	सम्पूर्ण दक्षिण दक्षिण सम्पूर्ण उत्तर

अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण की विवादित आराजीयात पर मेड़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

बन्दी करवाकर कब्जा संभलाया जावे। तद्नुसार नक्शे में तरमीम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा
इटावा

Scanned with CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

दुलीचंद पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी सायगढ़ जिला बांरा जरिय कायम मुकामान

1– लीलाधर पुत्र दुलीचंद जाति धाकड निवासी सायगढ़
2– रामचन्द्र पुत्र दुलीचंद जाति धाकड निवासी सायगढ़(मृतक)
2/1 जानकीबाई पत्नि मृतक रामचन्द्र
2/2 संजय पुत्र मृतक रामचन्द्र
2/3 प्रेमनारायण पुत्र मृतक रामचन्द्र
2/4 राजेन्द्र पुत्र मृतक रामचन्द्र
अकवाम धाकड़ निवासीगण सायगढ़ तहसील बांरा जिला बांरा

(वादीगण)

बनाम

1– हेमराज पुत्र झीतू
2– मूलचंद पुत्र झीतू
3– गोपाली पुत्री झीतू
टकवाम धाकड़ निवासीगण हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4– औकारी पुत्री झीतू पत्नि सूरजमल जाति धाकड निव9ासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

मिसल नं. 7/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित प्रकरण में मुताबिक प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार , विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी में निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	ग्राम का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर	किस्म जमीन	दिशा
वादी–गण	लीलाधर पुत्र दुलीचन्द हि01/2 संजय,प्रेमनारायण,रारजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र , रामचन्द्र हि01/2 हि0ब0 जाति धाकड सा0देह खातेदार रहन यथावत योग किता	हरिपुरा	366 181 153 409 647 ..... कुल किता 5	0.22 0.34 3.12 0.70 1.93 ..... 6.31	न.प्र. न.प्र. न.दो. बा.दो. न.प्र.	उत्तर सम्पूर्ण सम्पूर्ण उत्तर दक्षिण
प्रतिवादी गण	हेमराज ,मूलचन्द पुत्र झीतू , गोपाली, औकारी पुत्रियां झीतू जाति धाकड सा0 देह हि0ब0 खातेदार रहन यथावत	हरिपुरा	154 366 409 647/1 647 कुल किता 5	3.44 0.23 0.71 1.46 0.48 6.32	न.दो. न.प्र. बा.दो. न.प्र. न.प्र.	सम्पूर्ण दक्षिण दक्षिण सम्पूर्ण उत्तर

अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण की विवादित आराजीयात पर मेड़ बन्दी करवाकर कब्जा संभलाया जावे। तद्नुसार नक्शे में तरमीम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 4.03.2020 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

(रामावतार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोर्ट
इटावा

Scanned with CamScanner